tion pictures, sound recording and other materials for serious study and research for use by all without distinction of class, caste, creed, occupation, sex or race.

II. To promote the use and benefits of books inside or outside the premises of the library in ways, such as consultation, loans for homereading, reference service, displays and exhibitions, loans to educational and cultural groups and institutions and bibliographical services.

III. To publish, sell and distribute books, papers, pamphlets, and information in pursuance of the objects of the Foundation.

IV. To organise lectures, seminars and symposia etc. on socio—economic issues.

V. To foster academic contacts within India as well as with other countries through exchange of personnel and research materials.

VI. To organise, undertake, conduct, encourage and promote study and research on the life and works of Dr. BR Ambedkar and in the field of development of weaker sections of Indian Society.

VII. To acquire, maintain and preserve the personal papers and other historical material pertaining to Baba Saheb Dr. B. R. Ambedkar and his life and work.

VIII. To undertake and to promote publication of books, manuscripts, periodicals and papers incorporating the results of the studies and research carried out at the library and universities having Dr Ambedkar Chairs.

IX. To institute and award fellowships, scholarships and monetary assistance to Students|Scholars ranging from SSC to the University. To award titles to prominent Social Workers in the field of development of SC/ST welfare.

X. To establish and run Dr Ambedkar Study Circle.

XI. To undertake and administer the implementation of schemes of writing and speeches of Baba Saheb Dr. B. R. Ambedkar and Production of Feature Film.

XII. To extend financial aid to institutions propagating Baba Saheb's maner, by constructing Community Halls, Bhavans, Libraries etc.

XIII. Organise/undertake scheme/drive for special tutorial coaching of the weak students of SC/ST in classes 9, 10, 11 and 12 to enable them fare better at academic examinations and competitive exams., and receive Govt. assistance for such ventures.

XIV. To organise/undertake scheme| drive for free medical aid and advice to Scheduled Castes|Trib's and other poorer sections of Society, and receive Govt. assistance for such purposes.

XV. To organise special campaigns for removal of untouchability and prejudices and for bringing in attitudinal change in the society through communal harmony and brotherhood and receive Govt. assistance for such purpose.

विकलांग व्यक्तियों के लिये रिक्त पद

4651. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992–93 के दौरान और 1993–94 में जून माह तक केन्द्रीय सरकारी सेवाओं और राज्य सरकारों की सेवाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों पर उन्हें कितनी संख्या में नियुक्तियां दी गई ;

(ख) केन्द्रीय सरकारी सेवाओं और राज्य सरकार की सेवाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों और पंजीकृत विकलांग बेरोजगारों की प्रदेशवार संख्या कितनी-कितनी है ;

(ग) सरकारी सेवाओं में नियुक्ति विकलांग कर्मियों को उनकी विशिष्ट शारीरिक स्थिति के कारण क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं ; और

(घ) देश भर में कार्यरत विकलांग सरकारी कर्मचारियों की तैनाती और स्थानांतरण के लिए तय की गई नीति उसके क्रियान्वयन का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) 39 मंत्रालयों / विभागों तथा 137 केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों से उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1992 की आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किये गये विकलांग व्यक्तियों की संख्या 297 है। जून, 1993 तक की सूचना उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकारों के संबंध में भी इस प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त विकलांगों के माध्यम से 1992 के दौरान 4302 विकलांग व्यक्तियों को नौकरियों में लगाया गया।

(ख) केन्द्रीय सरकार की सेवा में विकलांग व्यक्तियों के लिए 19 मंत्रालयों/विभागों और 117 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में समूह ग और घ पदों के लिए कुल 1321 पद आरक्षित किए गए हैं। राज्य सरकारों के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है। विशेष रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में विकलांग व्यक्तियों की संख्या विवरण–1 में दी गई है (**नीचे देखिए**)।

(ग) सरकारी सेवाओं में नियुक्त विकलांग कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं विवरण–2 में दी गई हैं। (**नीचे देखिए**)।

(घ) समूह ग और घ के उन पदधारियों के मामले में जिनकी क्षेत्रीय आधार पर भर्ती की गई है और जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं, यह निर्णय लिया गया है कि जहां तक सम्भव हो उन्हें उसी क्षेत्र में उनके जन्म स्थान के निकटस्थ स्थानों में तैनात किया जाए। उनके जन्म स्थान में या उसके समीप स्थानान्तरण के लिए ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए अनुरोधों को प्राथमिकता भी दी जाए।

विवरण–1

30–6–1992 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत बेरोजगार विकलांग व्यक्तियों की संख्या की राज्यवार सूची।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	30–6–92 की स्थिति के अनुसार चालू रजिस्टर में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या
1	2	3
1	आंध्र प्रदेश	43167
2	अरूणाचल प्रदेश	—
3	असम	2988
4	बिहार	14189
5	गोवा	444
6	गुजरात	12399
7	हरियाणा	6626
8	हिमाचल प्रदेश	3611
9	जम्मू और कश्मीर	735
10	कर्नाटक	16423
11	केरल	22939
12	मध्य प्रदेश	16707
13	महाराष्ट्र	21375
14	मणिपुर	1152
15	मेघालय	82
16	मिजोरम	65
17	नागालैंड	50
18	उड़ीसा	11606
19	पंजाब	8833
20	राजस्थान	14519
21	सिक्किम*	
22	तमिलनाडु	41394

*टिप्पणी: इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

1	2	3
23	त्रिपुरा	2236
24	उत्तर प्रदेश	27648
25	पश्चिम बंगाल	42582
26	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	176
27	चंडीगढ़	758
28	दादरा और नगर हवेली	40
29	दिल्ली	5084
30	दमन व दीव	18
31	लक्षद्वीप	49
32	पांडिचेरी	1078
	कुल . .	318973

विवरण–2

सरकारी सेवाओं में नियुक्त किये गये विकलांग कर्मचारियों को दी जा रही सुविधायें ।

(i) विभिन्न कार्यों की पहचान की गई है जो विकलांग व्यक्तियों के लिये उपयुक्त है ।

(ii) पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये (i) समूह घ में ही (ii) समूह घ से ग तथा (iii) समूह ग में ही आरक्षण किया जा रहा है ।

(iii) दृष्टिहीन तथा अस्थि विकलांग को मूल वेतन के 5% तक अथवा 100 रुपये जो भी कम है, वाहन भता दिया जाता है ।

(iv) विकलांग व्यक्तियों को आवास प्राथमिकता के आधार पर आवंटित किया जाता है ।

मध्य प्रदेश की पहाड़ी कोरवा और बिरहोर जन जातियां

4652. **श्री दिलीप सिंह जूदेव :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में विलुप्त प्राय जनजाति पहाड़ी कोरवा और बिरहोर-लोगों के अस्तित्व को बचाये रखने और उनको विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए वर्ष 1992–93 तक किन-किन कार्यक्रमों को लागू किया गया है ;

(ख) 1990-91 में 1991-93 तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार ने वर्षवार कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की है और राज्य सरकार ने कितनी-कितनी राशि व्यय की है ;

(ग) क्या केन्द्रीय और राज्य सरकार ने इन जनजातियों के कल्याणार्थ लागू किए जा रहे कार्यक्रमों का कभी कोई मूल्यांकन कराया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन जनजातियों के संबंध में व्यापक सर्वेक्षण कराने के लिए की जा रही कार्रवाही का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) मध्य प्रदेश में आदिम जनजाति समूहों के रूप में पहाड़ी और बिरहोर को शामिल करते हुए सात आदिवासी समूहों की पहचान की गई है। इन समूहों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से ही आर्थिक कार्यक्रम क्रियान्वित किये जाते हैं, ताकि इन समूहों को विकास की मुख्य धारा में लाया जा सके। इन योजनाओं में कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन